बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक 3-5-21

संख्या–21 / त॰क॰च॰आ॰-04 / 2014,सा॰प्र॰5214 **"बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014)"** की धारा-14 की उप धारा-1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **"बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018"** में संशोधन हेतु बिहार सरकार निम्नलिखित संशोधन-नियमावली बनाती है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ** ।– (i) यह नियमावली **"बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021"** कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018" के नियम-4 का प्रतिस्थापन-** उक्त नियमावली के नियम-4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"4. Online आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से निम्नवत आवेदन-शुल्क लिया जा सकेगा :-

क्रमांक	उम्मीदवारों की कोटि	परीक्षा के आधार पर चयन हेतु निर्धारित आवेदन-शुल्क		प्राप्तांक के आधार पर चयन हेतु निर्धारित आवेदन-शुल्क
1	2	3		4
		प्रारंभिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा	
(i)	सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रु॰ 600 /–	रु॰ 750 /–	रु॰ 200 /–
(ii)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु॰ 150 /–	रु॰ 200 /–	रु॰ 50 /–
(iii)	आरक्षित / अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य की स्थायी निवासी)	रु॰ 150 /–	रु॰ 200 /–	रु॰ 50 /–
(iv)	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला / पुरूष हों।	रु॰ 600 /–	रु॰ 750 /–	रु॰ 200 /–

परन्तु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उपर्युक्त आवेदन-शुल्क में परिवर्तन किया जा सकेगा। "

3. **"बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018" के नियम-8 में एक उपनियम (4) जोड़ा जाना** ।– उक्त नियमावली के नियम-8 में उपनियम-3 के बाद एक उपनियम-4 निम्नवत् जोड़ा जायेगा :–

"(4) (i) जिन पदों की सेवा/संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर चयन का प्रावधान किया गया है, वैसे मामलों मे प्रशासी विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में रिक्तियों के विरूद्ध चयन हेतु आयोग द्वारा Online/Offline परीक्षा/साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा।

(ii) आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से Online/Offline परीक्षा हेतु विभिन्न तकनीकी पदों के लिए विषय एवं पाठयक्रम का निर्धारण किया जाएगा।

4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली, 2018 के नियम-8 में एक उप नियम-(5) जोड़ा जाना ।– उक्त नियमावली के नियम-8 में उप नियम-4 के बाद एक उप नियम-5 निम्नवत् जोड़ा जायेगा :–

"(5) आवेदकों की संख्या अधिक रहने पर लिखित परीक्षा एक या एक से अधिक चरणों में आयोजित की जायेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
3.5.21
(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–21/ त.क.च.आ.-04/2014,सा0प्र0 5214 /पटना–15, दिनांक– 3-5-21

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, ई-गजट शाखा को सी.डी. सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

3.5.21
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–21/ त.क.च.आ.-04/2014,सा.प्र. 5214 /पटना–15, दिनांक– 3-5-21

प्रतिलिपिः–राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारियों सहित) को सूचनार्थ प्रेषित।

3.5.21
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–21/ त.क.च.आ.-04/2014,सा0प्र0 5214 पटना–15, दिनांक– 3-5-21

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.5.21
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या–21 / त॰क॰च॰आ॰-04 / 2014,सा॰प्र॰................सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 5214 दिनांक 3-5-21 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार सरकार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

NOTIFICATION

Patna, Dated 3-5-21

No.-21/B.T.S.C-04/2014 Ka-5215 In exercise of the powers conferred by Section-14(1) of **"Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014)"** the Government of Bihar is pleased to make the following amendment-rules for amendment in **"Bihar Technical Service Commission Selection Procedure Rules, 2018".** :-

1. **Short title, extent and commencement** I– **(i)** These Rules may be called **"Bihar Technical Service Commission Selection Procedure (Ammendment) Rules 2021"**

(ii.) It shall extent to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come in to force from the date of publication in the Gazette.

2. **Substitution of Rule-4 of "Bihar Technical Service Commission Selection Procedure Rules, 2018."** -

Rule-4 of the said Rules shall be substituted by following -

The following application fee may be charged from the applicant who apply online:-

Sl. No-	The category of the candidates	Fixed application fee for selection on the basis of examination		Fixed application fee for selection on the basis of Marks
1	2	3		4
		Preliminary Examination	Mains Examinations	
(i)	General category/Backward category/ Extremely backward category	Rs. 600/-	Rs. 750/-	Rs. 200/-
(ii)	Schedule Caste/Schedule Tribes (Permanent resident of the State of Bihar)	Rs. 150/-	Rs. 200/-	Rs. 50/-
(iii)	Reserved/Unreserved category of women candidates (Permanent resident of the State of Bihar).	Rs. 150/-	Rs. 200/-	Rs. 50/-
(iv)	The candidates from other States belonging to any category woman / man.	Rs. 600/-	Rs. 750/-	Rs. 200/-

but abovesaid application fee shall may be changed time to time by the State Government.

3. **Addition of sub-rule-(4) in rule-8 of Bihar Technical Service Commission Selection Procedure Rules, 2018** I–

A Sub Rule-4 shall be added after sub-rule-3 in rule-8 of abovesaid rules as follows-

" (4)(i) where provision for selection is done on the basis of written examination/Interview in service/cadre Rules of the posts, in that cases Online/Offline examination/Interview shall be conducted by the Commission for selection against vacancies in the light of received requisition form Administrative Deaparment.

(ii) For Online/Offline Examination for various technical posts, subject and syllabus shall be determined by Commission with advice of Administrative Department.

4. **Addition of sub-rule-(5) in rule-8 of Bihar Technical Service Commission Selection Procedure Rules, 2018** I– Sub Rule-5 shall be added after sub rule-4 in rule-8 of the said Rules as follows :-

"(5) In case of excess number of applicants, the written examination shall be conducted in one or more than one stages."

By the order of the Governor of Bihar,

3.5.21

(Himanshu Kumar Rai)

Additional Secretary to Government

No.-21/B.T.S.C-04/2014 Ka - 5215 Dated- 3-5-21

Copy forwarded to Finance Department, E-Gazette Section with C.D. in two copies with the request for publication to this in extra-ordinary issue of Bihar Gazette and to send its copies to General Administration Department.

3.5.21

Additional Secretary to Government

Memo no B.T.S.C-04 /2014 Ka - 5215 Dated- 3-5-21

Copy forwarded to All Departments to State Government/All Head of the Department/ Secretary, Bihar Technical Service Commission, Patna/Registrar General, High Court Patna/A.G. Bihar, Patna/All Officers (Including Section Officers) of General Administration Departmet for information.

3.5.21

Additional Secretary to Government

No.-21/ B.T.S.C-04 /2014 Ka - 5215 Dated- 3-5-21

Copy forwarded to I.T. Manager, General Administration Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

3.5.21

Additional Secretary to Government